न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डॉ एस0पी0सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 1/2013

बउनवान

1– तस्वीर बाई पुत्री गोपालजी जाति–पाचांल लुहार निवासी–माथना तहसील–बारां, जिला–बारां(राज0)

2– मोरबाई पुत्री स्व. श्री गोपालजी जाति–पांचाल लुहार निवासी–माथना तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

1– जगदीश पुत्र श्री बंशीलाल जाति–लुहार

2– अनिता पुत्री श्री बंशीलाल जाति–लुहार

3– सुनीता पुत्र श्री बंशीलाल जाति–लुहार

4– शांतिबाई बेवा बंशीलाल जाति–लुहार निवासी–माथना तह0 बारां

5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट्स)**

अपील विरूद्व तहसीलदार,बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 16 दिनांक 30.6.1986 वाके ग्राम माथना अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री मदनलाल गालव, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. श्री हरीओम चतुर्वेदी, अभिभाषक **(रेस्पोंडेंट्स)**

निर्णय दिनांक– 01.11.2017

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा ग्राम माथना के तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 30.6.1986 से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि ग्राम माथना तह0 बारां में अपीलांट के पिता गोपाल वल्द छोटूलाल लुहार के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1423/2.99 हैक्टर का फौती इन्तकाल दिनांक 30.6.86 को रेस्पों0 क्रम 1 ता 3 के पिता एवं क्रम–4 के पति श्री बंशीलाल पुत्र गोपाल लुहार निवासी माथना के नाम खोल कर गोपालजी लुहार की खातेदारी आराजी को बंशीलाल के नाम दर्ज कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी उक्त इन्तकाल विधि विरूद्व एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने गोपालजी के वारिसान की सहीं जॉच किये बिना हीं मिथ्या आधारो पर इन्तकाल खोलने की स्वीकृति जारी की है, जो गलत तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा गोपाल जी के वारिसान में केवल मात्र लडका बंशीलाल जीवित बताकर तथा उनकी लडकियॉ चाहन्या एवं बेवा फोत होना बताया है, जिसके आधार पर बंशीलाल के नाम इन्तकाल खोला गया है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट गलत तथा तथ्यों को छिपाकर दी गयी है। वास्तविकता यह है कि मृतक गोपाल जी लुहार खातेदार के उनकी मृत्यु के समय दो लडकियॉ अपीलांट्स जीवित थी जो उनकी ओरस पुत्रियॉ है जिनके नाम भी फोती

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इन्तकाल खोलते समय बतौर खातेदार बंशीलाल के साथ–साथ दर्ज होना चाहिये था परन्तु बंशीलाल ने कर्मचारियों से मिलकर फर्जी तरीके से मिथ्या आधारों पर विधि विरूद्व इन्तकाल खुलवा लिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

यह भी लिखा कि गोपाल पुत्र छोटूलाल लुहार की उक्त आराजी के फौती इन्तकाल के आधार पर बंशीलाल पुत्र गोपाल के नाम दर्ज आराजी में अपीलांट्स का 1/3, 1/3 हिस्सा तथा रेस्पों कम 1ता 4 का हिस्सा 1/3 है। इसी प्रकार खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है। गोपालजी की मृत्यु के समय अपीलांट्स नासमझ छोटी थी एवं बाद में ससुराल चली गयी थी इसलिये उक्त फर्जी इन्तकाल की जानकारी नहीं थी। अपीलांटा को भाई बंशीलाल की मृत्यु होने पर उसके स्थान पर वारिसान का नाम दर्ज करवाने के संबंध में जानकारी लेने तथा रेकार्ड देखने पर मालुम हुआ कि उक्त खाते में अपीलांट्स के नाम हीं नहीं है। जानकारी होने पर, धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र के साथ अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोपालजी लुहार के स्थान पर बंशीलाल (पुत्र) के नाम खोला गया उक्त फौती इन्तकाल दिनांक 30.6.86 को निरस्त किया जाकर उसके स्थान पर बंशीलाल के साथ–साथ अपीलांट्स के नाम बतोर सहखातेदार दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खातेदार गोपालजी के ग्राम माथना में आराजी ख0नं0 1423 कुल रकबा 2.99 है0 खातेदारी भूमि अवस्थित है। अपीलांट्स गोपालजी की जायन्दा वारिस पुत्रियॉ है। गोपालजी की मृत्यु होने पर बंशीलाल ने गोपालजी का स्वंय को एक मात्र जीवित वारिस बताकर, वास्तविक तथ्यों को छुपाकर, कर्मचारियों की मिलीभगत से अधीनस्थ न्यायालय से अपने नाम फौती इन्तकाल तस्दीक करा लिया है। जबकि अपीलांट्स गोपालजी की वैधानिक जीवित वारिस है इसलिये उक्त आराजी को बराबर–बराबर प्राप्त करने की पूर्ण अधिकारी है। विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार अपीलांट्स व रेस्पों0 बंशीलाल का 1/3–1/3 हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त फौती इन्तकाल संख्या 16 दिनांक 30.6.1986 तस्दीक करने से पूर्व वैधानिक वारिसान की जॉच पडताल नहीं की गयी है, बंशीलाल के नाम फौती इन्तकाल दर्ज करने में भारी एवं विधिक भूल की है जो निरस्त होने योग्य है।

साथ हीं कथन किया है कि विवादित आराजी विरासतन है। अपीलांट्स अपने पिता के हक व हिस्से की आराजी को प्राप्त करने के लिये विधिक अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक वारिसों की जॉच किये बिना हीं उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है जो कानूनी रूप से पूर्णतया अवैध व शून्य किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पों0 बंशीलाल के पक्ष में तस्दीकी फोती इन्तकाल संख्या 16 दिनांक 30.6.1986 को निरस्त

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

फरमाया जाकर, बंशीलाल के साथ–साथ अपीलांट के नाम भी इन्तकाल में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

इसके विपरीत रेस्पों0 अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि यह सहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंशीलाल के पक्ष में फौती इन्तकाल तस्दीक किया है। उक्त फौती इन्तकाल दिनांक 30.6.1986 को तस्दीक हुआ है, जिसकी पूर्ण जानकारी अपीलांट्स को थी तथा तत्समय अपीलांट्स की सहमति से हीं उक्त आराजी से हक व हिस्सा नहीं चाहने की सहमति के आधार पर हीं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंशीलाल के पक्ष में फौती इन्तकाल तस्दीक किया गया है। यह इन्तकाल दिनांक 30.6.1986 को तस्दीक हुआ है। तभी से बंशीलाल व उनके वारिसान् उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अब अपीलांट्स के मन में बदयान्ति आ गयी है इसलिये लगभग 30 वर्षो के बाद झूठे व मनगढन्त तथ्यों को बताकर, उक्त इन्तकाल को चुनौती दे रहे है। वर्तमान में बंशीलाल के वारिस भी रेकार्ड पर आ चुके है तथा उन्हे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है, ऐसी स्थिति में उनके हक व हिस्से की आराजी को यह कहकर प्रभावित नहीं किया जा सकता कि वह गोपालजी की पुत्री है।

साथ हीं कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार तत्समय परिस्थितयों के अनुरूप उक्त फौती इन्तकाल तस्दीक किया गया है। वैसे भी नामान्तकरण एक सारांशीय फिसकल (Fiscal) कार्यवाहीं है, जिससे कोई अधिकार तय नहीं होते है। अधिकार एवं हक हकूक का निर्धारण केवल दावें में हीं तय होता है। अपीलांट्स ने लगभग 30 वर्ष पश्चात् उक्त अपील प्रस्तुत की है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अतः अपीलांट्स की अपील मियाद बाहर होने से निरस्त फरमायी जावे।

हमने विद्धान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पों0 की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोपालजी के ग्राम माथना में खातेदारी में अवस्थित आराजी ख0नं0 1423 रकबा 2.99 है0 का फौती इन्तकाल बंशीलाल के पक्ष में दिनांक 30.6.1986 को तस्दीक करने पर, अपीलांट्स द्वारा उक्त तस्दीकी इन्तकाल को वैधानिक पुत्रियॉ बताकर, दिनांक 18.2.2013 को चुनौती दी गयी है। अपीलांट्स ने उक्त अपील लगभग 24 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गयी है। वर्तमान में बंशीलाल की भी मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वारिसान् के नाम रेकार्ड में दर्ज हो चुके है। अपीलांट ने धारा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थनापत्र में अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के जो कारण बताये है कि उनको बंशीलाल के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम दर्ज कराने पर उक्त तस्दीकी इन्तकाल की जानकारी हुई है उचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरूप, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने ने खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official